न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा (आरएएस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या: 74 / 2024
निर्णय दिनांक : 18.09.2025
दायर दिनांक : 03.07.2024
जीसीएमएस नम्बर : 2025 / 159

1. चुका देवी पत्नी रामकुमार जाट निवासी ग्राम मालासी तहसील सुजानगढ़।

.....प्रार्थीनी

1. हरसाराम पुत्र हणमानाराम जाति जाट निवासी ग्राम साण्डन तहसील सुजानगढ चूरू खातेदार खसरा नम्बर 08 वाके रोही चाचीवाद छोटा भू नि बिराणियां तहसील फतेहपुर सीकर
2. कमला पुत्री खींयाराम जाति जाट निवासी ग्राम साण्डन तहसील सुजानगढ चूरू
3. भगवती पुत्री खींयाराम जाति जाट निवासी ग्राम साण्डन तहसील सुजानगढ चूरू
4. भंवरलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट निवासी ग्राम साण्डन तहसील सुजानगढ चूरू
5. सुमनकुमारी पुत्री सन्तोष पत्नी सोहनराम जाति जाट निवासी साण्डन
6. सुरेन्द्र पुत्र सन्तोष पत्नी सोहनराम जाति जाट निवासी साण्डन
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर

.....अप्रार्थी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क)
की उपधारा (।) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिस्सु।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री पुनीत खिचड़ उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. पैरोकार राज तहसीलदार सुजानगढ़।

–:निर्णय:–

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीनी खेत खसरा नम्बर 582/179 रोही ग्राम साण्डन तहसील सुजानगढ़ की खातेदार है जिसका राजस्व रेकार्ड मे कोई कटाणी रास्ता नही है, खसरा नम्बर 582/179 व खसरा नम्बर 583/179 पहले एकल खातेदारी के खेत रहे है। खसरा नम्बर 583/179 के पूर्वी सींव सरहद मौजा चाचीवाद छोटा है, जिसका खसरा नम्बर 08 खातेदार हरसाराम ग्राम स्यानण का निवासी है। जिसके स्यानण से चाचीवाद का कटाणी रास्ता सदामद से चालु है । उपरोक्त रास्ता सरहद बदलने के कारण स्यानण की रोही मे तो दर्ज है परन्तु चाचीवाद की रोही मे खसरा नम्बर 08 में अंकन नही है जबकि उपरोक्त रास्ते दोनो छोर आपस मे स्यानण की रोही के खसरा नम्बर 183 मे एवं 178 मे मिलते है। उपरोक्त रास्ता मोके पर खसरा नम्बर 583/179 के पूर्वी उत्तरी सीमा कुंट पर

उप खण्ड अधिकारी

खसरा नम्बर 08 वाके रोही चाचीवाद मे से निकलता है। जिसमे से खसरा नम्बर 583/179 की उत्तरी सीमा से खसरा नम्बर 582/179 तक रास्ता की मांग की जाकर रास्ता कायम करवाने की इस्तदुआ की जाती है। खसरा नम्बर 583/179 व 582/179 मुल खसरा 179 के विभाजित खेत है । उपरोक्त बरंगलाल दर्शाये रास्ते से कम से कम भूमि व सुविधाजनक रास्ता बिना किसी प्रकार से खातेदार की भुमि को नुकसान हुये कायम किया जा सकता है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर प्रार्थी नियमानुसार भुगतान करने को तैयार है ।रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने के कारण भारी परेशानिया होती है। रास्ते की चोडाई व लम्बाई का नाप हल्का पटवारी की रिपोर्ट से तलब किया जावे। उपरोक्त खसरा नम्बर 08 वाके रोही चाचीवाद मे भी जो राजस्व नक्शा मे भूल रही है, जो दुरस्त हो जायेगी एंव किसी प्रकार से खसरा नम्बर 08 के खातेदार को नुकसान नही होना है वरन उपरोक्त रास्ता दर्ज होने से फायदा ही है एंव खसरा नम्बर 583/179 के खातेदार के भी रास्ता दर्ज होने से हर प्रकार से फायदे है। उपरोक्त रास्ता राजस्व अक्स मे करवाने व प्रार्थी खातेदार कृषक होने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है, प्रार्थी उपरोक्त रास्ता से आवागमन करने का सतत कानूनी अधिकार प्राप्त है अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है ऐसी स्थिति मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क की उपधारा 1 राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करवाने की मांग के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है । प्रार्थीनी द्वारा निवेदन किया गया कि नजरी नक्शा के कटाणी मार्ग से खसरा नम्बर 8 वाके रोही चाचीवाद छोटा में दर्ज से खसरा नम्बर 583/179 की उत्तरी सीमा के पास से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 582/179 तक नजरी नक्शे मे दर्शाये गये बरंगलाल 30 फुट चोडा रास्ते की भूमि को दर्ज किया जाने का आदेश फरमावे, एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वोह प्रार्थीगण के आवागमन मे किसी प्रकार की कोई बाधा कारित नही करे एंव अन्य न्यायोचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। एवं तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गयी। तहसीलदार सुजानगढ़ ने पत्रांक राजस्व/2024/1393 दि0 29.10.2024 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट मय फर्द मौका व नजरी नक्शा प्रस्तुत कीः–

1. ख0नं0 582/179 रकबा 2.8451 है० बा0अ0 में किसी प्रकार का कटाणी रास्ता नहीं है।
2. उक्त खसरे के पूर्व में ख0नं0 583/179 में से जाने वाला बिना कटाणी रास्ता मौके पर बन्द पाया गया।
3. ख0नं0 583/179 रकबा 9.4205 है० बा० अ० के पूर्वी सीमा पर ग्रैवल सड़क साण्डन से मालासी बनी हुई है जिसपर आवागमन जारी है।
4. ख0नं0 582/179 में आवागमन हेतु 583/179 के उतरी पूर्वी कोने से (ग्रेवल सड़क से) ख0नं0 582/179 तक अर्थात ख०. नं0 583/179 की उतरी सीमा साथ साथ ख०नं० 582/179 के उतरी पूर्वी कोने तक लम्बाई 1312 फीट है।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

5. ख0नं0 582/179 में आवागमन हेतु सुविधाजनक रास्ते हेतु उक्त 1312 फीट लम्बाई व 16.5 फीट चौड़ाई का कुल क्षेत्रफल 21648 वर्गफीट (2011 वर्गमीटर) रास्ते हेतु सुविधाजनक है।
6. उक्त खसरा नम्बर 582/179 के अन्य कोई कटाणी या बिना कटाणी रास्ता नहीं लगता है।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिध्वक्ता श्री पुनीत खिचड़ ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होना जाहिर किया। बावजूद विधिवत तामील के न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार सुजानगढ़ से पुनः स्पष्ट मौका रिपोर्ट चाही गयी जिसपर पत्रांक राजस्व/2025/68 दि0 24.01.2025 के माध्यम से फर्द मौका मय नक्शा ट्रेस तथा राजस्व/2025/1186 दि0 15.09.2025 के माध्यम से रिपोर्ट मय फर्द मौका प्रस्तुत किया गया। जिनके अनुसार खसरा नम्बर 583/179 की पूर्वी सीमा पर मौके पर ग्रेवल सड़क तक रास्ता प्रस्तावित है इसके अलावा किसी भी खसरा में से मौके पर रास्ता की आवश्यकता नहीं है। खसरा संख्या 583/179 की पूर्वी सीमा ग्राम चांचीवाद जिला सीकर की सीमा लगती है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण प्रार्थना–पत्र 251 "क" राज.काश्त. अधि. सुनी गई। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 583/179 व 582/179 मुल खसरा 179 के विभाजित खेत है। नजरी नक्शा में बरंगलाल दर्शाये रास्ते से कम से कम भूमि व सुविधाजनक रास्ता बिना किसी प्रकार से खातेदार की भुमि को नुकसान हुये कायम किया जा सकता है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर प्रार्थी नियमानुसार भुगतान करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम साण्डन के खसरा नम्बर 583/179 की उत्तरी सीमा से खसरा नम्बर 582/179 तक रास्ता कायम करवाने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट से उक्त कथन साबित होता है क्योंकि तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका दिनांकित 21.08.2025 , रिपोर्ट पटवारी दि0 09.12.2024 रिपोर्ट तहसीलदार दि0 29.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि

प्रार्थिनी के खेत ख० नं0 582/179 रकबा 2.8451 है० बा0अ0 रोही ग्राम साण्डन में किसी प्रकार का कटाणी रास्ता नहीं है। ख0नं0 583/179 रकबा 9.4205 है० बा० अ० के पूर्वी सीमा पर ग्रैवल सड़क साण्डन से मालासी बनी हुई है जिसपर आवागमन जारी है। ख0नं0 582/179 में आवागमन हेतु 583/179 के उतरी पूर्वी कोने से (ग्रेवल सड़क से) ख0नं0 582/179 तक अर्थात ख०. नं0 583/179 की उतरी सीमा साथ साथ ख०नं० 582/179 के उतरी पूर्वी कोने तक लम्बाई 1312 फीट है। ख0नं0 582/179 में आवागमन हेतु सुविधाजनक रास्ते हेतु उक्त 1312 फीट लम्बाई व 13 फीट चौड़ाई का रास्ता सुविधाजनक है। उक्त खसरा नम्बर 582/179 के अन्य कोई कटाणी या बिना कटाणी रास्ता नहीं लगता है। मौके पर दोनों खसरों के खतेदारों की आपसे सहमती से रास्ता बनाया हुआ है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा रिपोर्ट तहसीलदार का भलीभांती अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि प्रार्थीनी के खेत में आवागमन का जो रास्ता अप्रार्थीगण के खेते में से प्रस्तावित है वो निकटतम है।

उपरोक्त दोनों की रिपोर्ट का खण्डन इस प्रकरण में किसी भी साक्ष्य से नहीं हुआ है। मामला धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से सम्बन्धित है जो संक्षिप्त विचारण का प्रकरण है। सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों ओर मौका रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है जो स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीनी के खातेदारी के खेत रोही ग्राम साण्डन तहसील सुजानगढ़ के खसरा संख्या 582/179 में आवागमन के लिए खसरा संख्या 583/179 वाके रोही ग्राम साण्डन के उतरी पूर्वी कोने से उतरी—पश्चिमी तक ट्रेक्टर, ट्रॉली, उंठगाडा आदि के आवागमन के लिए 13 फीट सुलभ रास्ता मुताबिक नक्शा दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू—अभिलेख निरीक्षक खुड़ी व पटवारी हल्का खारिया कनीराम द्वारा प्रमाणित नजरी नक्शा दिनांकित 27.09.2025 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार सुजानगढ़ उक्त रास्ते का अंकन सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर मुताबिक रास्ता के नक्शा तरमीम करें तथा मौके पर मौका रिपोर्ट के अनुरूप रास्ता कायम किया जावे। प्रार्थीगण उक्तानुसार रास्ते के रूप में आने वाली भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. की दर का दौगुणा राशि नियमानसुार रांजकोष में जमा करवायें। तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला—चूरू सत्यमेव जयते

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़